अपील सूचना अधिकार संख्या 127/2020 (GCMS 2020/00215) ललित सिंह पुत्र किशन लाल ओड़, कालूबास, कालूरोड़, वार्ड नं. 01, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर), राजस्थान बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ललित सिंह स्वयं उपस्थित नहीं है पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्र.), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 03.09.2020 से तीन बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निशचित समय सीमा में उसे प्राप्त नही हुई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से अविलम्ब सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ललित सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.09.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते आपके जिले में दिनांक 22 मार्च 2020 से आज दिनांक तक कुल कितने व्यक्तियों को क्वारटाईन किया गया। जिन जिन व्यक्तियों को क्वारटाईन किया गया है उक्त व्यक्तियों के नाम पद व पता मोबाईल नम्बर सहित सम्पूर्ण प्रमाणिज जानकारी देने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना रूपया खर्च निर्धारित है के सम्पूर्ण प्रमाणित जानकारी देने हेतु।
>
> क्वारटाईन किये गये व्यक्तियों पर कुल कितने रूपये आवंटित हुए कितने खर्चे हुवे कितने बचत है की प्रमाणित जानकारी देने हेतु।
>
> क्वारटाईन किये गये व्यक्तियों के लिए दिये भोजन, चाय, नाश्ता बिस्किट व अन्य राशन सामग्री खरीदी गई है उसका बिल उपलब्ध करवाने हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कृपया एक महिना में सूचना उपलब्ध कराने हेतु जमा की जाने वाली राशि की जानकारी दी जाए ताकि निर्धारित शुल्क जमा कर जानकारी प्राप्त की जा सके।

आवेदक अस्वीकृति होने या जानकारी की उपलब्धता नहीं होने पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 8 के अनुसार :

1. अस्वीकृति के कारण
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी पद नाम की जानकारी दे।
3. जानकारी किसी अन्य कार्यालय से संबंधित हो तो अधिनियम के अनुसार आवेदन पर संबंधित कार्यालय को हस्तातरित कर इसी सूचना मुझे दी जाए।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./——/2020/1113 दिनांक 03.11.2020 से निम्नानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2020 द्वारा चाही गई सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक 903 दिनांक 15.09.2020 द्वारा अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील से सम्बन्धित जवाब मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पेश किया जाता है।

संलग्न : मूल प्रार्थना पत्र

लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 16:53:09 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वांस्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.11.2020 से उन्हें स्थानान्तरित किया जा चुका है। **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं है।** इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। अपीलार्थी यदि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश से अप्रसन्न हो तो चिकित्सा विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:09 IST
Reason: SelfAttested